

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 21, 1936

No. 363]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 2014

फा. सं. पी.15025/266/2013-पीए/एफएसएसआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्ररूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) संशोधन विनियम, 2014 है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट क खाद्य सहयोज्यों से संबंधित सूची में, सारणी 7 में, "तापीय प्रसंस्कृत सब्जियों में प्रयोग के लिए खाद्य योजक" से संबंधित क्रम संख्या ग में मद (ख) के लिए क्रम संख्या 1 से 8 के सामने स्तंभ (4), (7) और (12) में प्रविष्टि " 200 पीपीएम अधिकतम " के स्थान पर "-" प्रविष्टि रखी जाएगी।

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा.187-ओ/14(227)]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना सं. तथा अंतिम संशोधन फा.सं. 5/15015/30/2012 द्वारा किया गया :

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013
- (ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसआई, तारीख 27 जून, 2013
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012 तारीख 12 जुलाई, 2013

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2014

F. No P.15025/266/2013-PA/FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestion, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft regulations

1. Short title and commencement.— These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2014

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in Appendix A, relating to list of food additives, in Table 7 relating to “ List of food Additives in thermally Processed Vegetables”, in serial number C, in item (b) against serial numbers 1 to 8, in

columns 4,7 and 12, for the entry “200 ppm maximum” the entry “- ” shall respectively be substituted.

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./187-O/14(227)]

Note:—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010 dated 1st August, 2010 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.
- (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
- (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.